

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नया
अहम
हुकम
में

न्यायालय र

तारीख हुकम

6.2.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित हैं।
पूरी में दिये गए आदेश को फालतु हेतु अक्सर बाध।
अन्तिम अदालत दिनांक 9.2.24
को पेश हो।

9.2.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित
हैं बहस आरंभ सुनी गई। वारंटे मोड
दिनांक 20.2.24 को पेश हो।

20.2.24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित
हैं बहस आरंभ सुनी गई। बहस
में वकील पक्षी ने अपने आर्चना पत्र में
वर्णित तथ्यों को देखाया।

हमने आर्चना पत्र, आप-पत्र, प्रतुल
रिपोर्ट दस्तावेज आदि का अवलोकन
किया। उक्त में विवादित आराजी खसरा
शे. 4877 रकबा 17 बीघा। बिस्वा गे. मु.
बडा दर्ज रिपोर्ट है। श्रीमि राजकीय
सिवायन्स होने के कारण प्रथम दृष्टया
केस आर्ची के पक्ष में साबित नहीं होता
है। सिवायन्स श्रीमि से धारा 9। के
तहत अतिरिक्ती के समय-समय पर
बेदखल किये जाने के नोटिस की कार्यवाही
श्री की गई है। अतः सुविधा सन्तुलन
वा अप्रुणनीय क्षति का किन्तु श्री आर्ची
के पक्ष में साबित नहीं होता है। उक्त
विवेचन के आधार पर आर्ची का
आर्चना पत्र वारंटे अस्थायी निषेधाज्ञा
खारिज किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं। नियोचि खुले न्यायालय में
सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से काम
की जाकर बाह लक्ष्मील दाखिल दफ्तर
हो।

उपस्थण्ड अधिकारी
वैभवरा (बुन्गी)

